

दिनांक 28/06/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता अनिश बुड़ीउली, पिता- स्व० मारकन्डे बुड़ीउली, निवासी ग्राम- तिरिलबुटा, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तिरिलबुटा, थाना नं०- 112 के अन्दर खाता नं०- 57, प्लॉट नं०- 182, 183, क्रमशः रकवा- $0.07+0.14 =$ कुल रकवा- 0.21 एकड़ भूमि क्रेता मजुरा पुरती, पिता- स्व० गुरा पुरती, ग्राम- तिरिलबुटा, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि हालसर्वे खतियान में आवेदक के पिताजी के नाम पर दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 429, दिनांक- 21. 06.19 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एवं देन परिदेन हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता मजुरा पुरती, पिता- स्व० गुरा पुरती, ग्राम- तिरिलबुटा, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास 4,90,000.00/- (चार लाख नब्बे हजार रुपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति प्रयाप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता अनिश बुड़ीउली, पिता- स्व० मारकन्डे बुड़ीउली, निवासी ग्राम- तिरिलबुटा, थाना- मुफसिल, क्रेता मजुरा पुरती, पिता- स्व० गुरा पुरती, ग्राम- तिरिलबुटा, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 4,90,000.00/- (चार लाख नब्बे हजार रुपये) में मौजा- तिरिलबुटा, थाना नं०- 112 के अन्दर खाता नं०- 57, प्लॉट नं०- 182, 183, क्रमशः रकवा- $0.07+0.14 =$ कुल रकवा- 0.21 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।